

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12210 / 1118

दिनांक :- 27.11.17

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री अमर चंद [लिंक न. 12210] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रभारी भौतिक सत्यापन दल , निरीक्षण विभाग, जालौर - [7000066] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/10/2017 से 10/11/2017 तक 17 दिवस

कुल 17 दिवस

उक्त कुल 17 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री अमर चंद की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12210 / 1118

दिनांक :- 27.11.17.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जालौर
2. कोषाधिकारी जालौर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री अमर चंद [12210] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जालौर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(प्रदीप माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)